



श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्रामियर म०प्र० ।



श्री वीरेंद्र कुमार मिश्र २५०

ब्राह्मा आज दि..... को  
प्रस्तुत १२-६-१६

क्लिक ऑफ कॉर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्रामियर

५८-१९८०-२-१६

१- विष्णुमणि गुप्ता तनय श्री रामस्वरम गुप्ता निवासी पौका सोनवर्षा

तहसील मुर्छंज जिला रोवा म०प्र० वर्तमान निर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत

देवतालाब ज०पं० मुर्छंज जिला रोवा म०प्र०

----- अपीलान्ट ।

बनाम

१- दिनेश कुमार गुप्ता तनय स्वर्गीय रामसुदर्शन गुप्ता निवासी लौर हाल  
पता पौका सोनवर्षा तहसील मुर्छंज जिला रोवा म०प्र०

----- रेस्पो ।

अपील विरुद्ध आदेश अपर कमियोरीवा के निगमप्र०ग्र०३४ निगम  
१५-१६, अटोडी २४-०५-१६ ।

अपील अन्तर्गत धारा ३६२ अधिनियम पंचायत राज

अधिनीत अन्वय ग्रामीण ।

भारत धारा ११५ पंचायत राज अधिनियम १९९३ ।

मान्यवर,

अपील का संक्षिप्त विवरण निम्न है :-

१- यह कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत देवतालाब ज०पं० मुर्छंज तहसील  
मुर्छंज जिला रोवा म०प्र० का वर्ष २०१४-१५ में म०प्र० शासन पंचायत एवं  
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकृतना के तारतम्य में निर्वाचन आयोग द्वारा  
रोवा जिला में होने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव में अधीर्षी के रूप में नाम

रोवा माली कुमार

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1980/दो/16

जिला रीवा

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.01.18	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.एस0सेंगर, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री आई०पी० द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा उपस्थित होकर तर्क दिया गया कि उक्त प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत है तथा प्रकरण में आवेदक की मृत्यु हो गई है, जो सरपंच के पद पर पूर्व में पदस्थ था।</p> <p>अतः प्रकरण में आवेदक की मृत्यु होने तथा राजस्व मण्डल को क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अभिलेख सहित अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।</p> <p style="text-align: right;">✓</p> <p style="text-align: right;">           सदस्य       </p>	